



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/ /2018/

दिनांक

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री नरेन्द्र कुमार चौहान, वरिष्ठ सहायक	जिला क्षय निवारण केन्द्र, जालौर।	05.03.1958	31.03.2018
2.	श्री नवरतन पालीवाल, अति. प्रशा.अधिकारी	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।	18.06.1958	30.06.2018
3.	श्री कमल सिंह तंवर, कनिष्ठ सहायक	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा. अधिकारी, झुन्झुनू।	25.06.1958	30.06.2018
4.	श्री जयराम शर्मा, वरिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनू।	28.07.1958	31.07.2018
5.	श्री बिरधी लाल नागर, कनिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रामपुरा, कोटा।	17.07.1958	31.07.2018
6.	श्री शहाब अहमद सिद्धीकी, वरिष्ठ सहायक	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, प्रतापगढ	10.07.1958	31.07.2018
7.	श्री हरदयाल बैरवा, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, बसवा, दौसा।	15.08.1958	31.08.2018
8.	श्री शिव कुमार भटनागर, वरिष्ठ सहायक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।	06.12.1958	31.12.2018

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया-विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 07/03/18

क्रमांक :- ई-18/एम/ /2018/529

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू/जयपुर-1/जालौर/उदयपुर/दौसा/कोटा/प्रतापगढ
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनू/रामपुरा, कोटा।
5. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा. अधिकारी, झुन्झुनू।
6. जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, जालौर।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा, दौसा।
8. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
9. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
10. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर